



2026:AHC:1052

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 3782, वर्ष 2025

रामवृक्ष
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अंकेश कुमार
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., पंकज कुमार गुप्ता

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री पंकज कुमार गुप्ता, तथा प्रतिवादी-ग्राम पंचायत के विद्वान अधिवक्ता श्री हरि मोहन श्रीवास्तव को सुना गया।
2. यह जनहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:
"परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को यह निर्देश दिया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को गाटा संख्या 26M/ 0.0024 हेक्टेयर और गाटा संख्या 28M/ 0.0024 हेक्टेयर से बेदखल करें। ये भूमियाँ राजस्व अभिलेखों में 'तालाब' (गढ़ी) और 'बंजर' के रूप में दर्ज हैं, और ग्राम- कनेहटी, टप्पा- काबरा, परगना- महुली पश्चिम, तहसील और जिला- बस्ती में स्थित हैं। ये भूमियाँ सार्वजनिक उपयोग की हैं, जिन पर प्रतिवादी संख्या 5 और 6 ने निर्माण कार्य करके गलत तरीके से अतिक्रमण कर लिया है।"
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत निजी प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के विरुद्ध बेदखली और हर्जाने के संबंध में तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने के बावजूद, उस आदेश को मौके पर अभी तक प्रभावी नहीं किया गया है। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के कार्यान्वयन/निष्पादन हेतु उचित निर्देश जारी किए जाएं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।
5. इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि तहसीलदार द्वारा 26.4.2024 को, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत, बेदखली और हर्जाने का आदेश पारित किया गया है।
6. यू.पी. राजस्व न्यायालय नियमावली के पैरा 460 के अंतर्गत, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत पारित आदेश के कार्यान्वयन/निष्पादन हेतु प्रावधान निर्धारित किया गया है; अतः, प्रस्तुत जनहित याचिका विचारणीय नहीं है।
7. यह जनहित याचिका इस टिप्पणी के साथ खारिज की जाती है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के कार्यान्वयन/निष्पादन के लिए, विधि के अनुसार, उचित कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

6 जनवरी 2026

रमीज़